[ 10/8/2021]

प्रश्न सं. [ क्र. 743 ]

परिशिष्ठ ''अ''

विधानसभा प्रश्न क्रमांक 743 विधायक स्वेच्छानुदान लहार

| क्र | माननीय विधायक का अनुशंसा पत्र क्र0 / दि0 | हितग्राहियों की संख्या | कार्यालय में पत्र प्राप्ति का दिनांक | प्रशासकीय स्वी0 क्र0 / दि0 | निज सहायक को प्रदत्त किये |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 / 27.04.21 | 18 | 24.05.2021 | 963 / 25.05.2021 | पत्र क्र. 1208 दिनांक 27.07.2021 के द्वारा 76 चैक प्रदाय |
| 2 | 205 / 01.06.21 | 44 | 04.06.2021 | 996 / 04.06.2021 | |
| 3 | 216 / 04.06.21 | 14 | 04.06.2021 | | |
| 4 | 254 / 06.07.21 | 15 | 19.07.2021 | 1177 / 26.07.2021 | पत्र क्र. 1234 दिनांक 29.07.2021 के द्वारा 52 चैक प्रदाय |
| 5 | 265 / 14.07.21 | 12 | 26.07.2021 | 1179 / 26.07.2021 | |
| 6 | 237 / 21.06.21 | 25 | 27.06.2021 | | |
| 7 | 244 / 24.06.2021 | 07 | 28.07.2021 | 1228 / 29.07.2021 | प्रगतिरत है। |
| 8 | निरन्क / 27.07.2021 | 24 | 28.07.2021 | | |

जिला योजना अधिकारी
जिला भिण्ड (म. प्र.)
D.D.O. CODE-0402315001

परिशिष्ट - ब

# मध्यप्रदेश शासन
## योजना, आर्थिक सांख्यिकी विभाग
## मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक 3924/2011/23-यो.आ.सां/17-पी.आई.डी./वि.नि. भोपाल, दिनांक 25/07/2011

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश

विषयः विधायक स्वेच्छानुदान निधि के अन्तर्गत एक सप्ताह की अवधि में हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराने बाबत्।

संदर्भः विभाग का पत्र क्र. एफ 11-22/2009/23/योआसां/भोपाल दिनांक 24.06.2009

माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा अनुसार विधायकों की स्वेच्छानुदान की राशि आदेश क्र. एफ 11-13/2011/23/योआसां/दिनांक 2 जुलाई, 2011 द्वारा रू. 3.00 लाख से बढ़ाकर रूपये 8.00 लाख की गई हैं। जिसकी प्रति आपकी ओर पृथक से प्रेषित की गई है।

विधानसभा में समय-समय पर चर्चा के समय माननीय विधायकगणों ने स्वेच्छानुदान की राशि हितग्राहियों को समय पर उपलब्ध नहीं होने की बात उठाई है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा निर्देश दिये है कि स्वेच्छानुदान की राशि संबंधित हितग्राहियों को अधिकतम 7 दिवस की अवधि में भुगतान हो जाना चाहिये।

अतः अब यह निर्देशित किया जाता है कि कलेक्टर अपने जिले में यह सुनिश्चित करेगें कि विधायक स्वेच्छानुदान निधि के अन्तर्गत माननीय विधायक से अनुशंसा प्राप्त होने के उपरान्त अधिक से अधिक एक सप्ताह के भीतर राशि का भुगतान संबंधित हितग्राहियों को अनिवार्यतः हो जावे। यदि किसी स्तर पर विलम्ब होता है तो इस हेतु संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जावे।

(के. सुरेश)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल



... MLA Letter 19.07.2011 Mantralaya Letter.doc

परिशिष्ट – ब

मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 11-22/2009/23/यो.आ.सां                भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2009

प्रति,

समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय:– विधायक स्वेच्छानुदान निधि के अंतर्गत 15 दिवस की अवधि में हितग्राहियों को राशि उपलब्ध कराने बाबत।

...

मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के आदेश क्र. एफ 11–12/2007/23–योआसां, दिनांक 21.09.2007 द्वारा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत प्रति विधानसभा क्षेत्र हेतु निर्धारित राशि रू. 80.00 लाख में से रू. 3.00 लाख प्रति विधानसभा क्षेत्र राजस्व मद में, विधायक स्वेच्छानुदान निधि योजना हेतु प्रावधित की गई है। विभाग के पत्र क्र. एफ11–12/2007/23/योआसां, दिनांक 30.10.2007 द्वारा स्वेच्छानुदान राशि के प्रयोजन के संबंध में स्पष्ट किया गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क. 1920/3670/एक (1) 81, दिनांक 28 मई 1982 में जारी निर्देशों के अनुरूप स्वेच्छानुदान राशि सार्वजनिक प्रयोजन के तहत दी जाना है।

2. विधानसभा में एक प्रश्न पर चर्चा के समय यह बात प्रकाश में आई है कि स्वेच्छानुदान अन्तर्गत स्वीकृत राशि समय से हितग्राही को उपलब्ध नहीं कराई जाती है। यहां तक कि कुछ प्रकरणों में यह राशि वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व भी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी और अंततः राशि लेप्स होने से हितग्राही को सहायता राशि से वंचित होना पड़ा। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि स्वेच्छानुदान की अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत 15 दिवस में राशि स्वीकृत एवं आहरित कर हितग्राहियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त निर्देश के अनुक्रम में सुनिश्चित किया जावे कि विधायक स्वेच्छानुदान निधि के अंतर्गत अनुशंसा पत्र प्राप्त होने से 15 दिवस की अवधि में संबंधित हितग्राही को स्वेच्छानुदान राशि का भुगतान अनिवार्यतः हो जावे। इस संबंध में अपने स्तर से संबंधित जिला/जनपद स्तरीय अधिकारियों को भी निर्देशित करें।

(देवेन्द्र सिंघई)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय,विदिशा मध्यप्रदेश

क्र.प./1538/एफ20/जि.यो.सां.का/13–जाव/2009                विदिशा दिनांक 10-8-09

प्रतिलिपि

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत विदिशा,बासौदा,सिरोंज,कुरवाई, लटेरी,नटेरन एवं ग्यारसपुर
2. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, विदिशा/बासौदा/ सिरोंज/कुरवाई/ लटेरी/शमशाबाद

की ओर भेजकर लेख है कि उक्त कंडिका कमांक–3 के अनुसार हितग्राहीयों को विधायक स्वेच्छानुदान की राशि 15 दिवस में भुगतान करना सुनिश्चित करे तथा कलेक्टर महोदय को सूचित करें।